



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 391 राँची, सोमवार, 1 आषाढ़, 1948 (श०)
22 जून, 2026 (ई०)

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

संकल्प

16 अक्टूबर, 2024

विषय:- केन्द्र प्रायोजित मिशन सक्षम आँगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के तहत संचालित आँगनबाड़ी सेवाएँ अन्तर्गत प्रशासनिक व्यय मद के तहत व्यय दर प्रति आँगनबाड़ी केन्द्र रू०-2,000/- वार्षिक को वर्द्धित कर प्रति आँगनबाड़ी केन्द्र रू०-8,000/- प्रतिवर्ष करने की स्वीकृति।

ज्ञापांक-05/म०स०/के०प्रा०यो० (ICDS)-96/2018-3147--केन्द्र प्रायोजित मिशन सक्षम आँगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार का एक अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिसके अन्तर्गत 0-6 वर्ष के बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं को विभिन्न प्रकार की सेवाएँ यथा (i) पूरक पोषाहार (ii) प्रतिरक्षीकरण (iii) पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा (iv) सन्दर्भ सेवाएँ (v) पूर्व प्राथमिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य जाँच की सेवाएँ उपलब्ध करायी जाती है।

2. सम्प्रति आँगनबाड़ी सेवाएँ के तहत आँगनबाड़ी केन्द्रों के स्थापना एवं संचालन विभागीय संकल्प सं०-1937, दिनांक-16.07.2018, संकल्प सं०-2972, दिनांक-16.11.2018, संकल्प सं०-1726, दिनांक-25.07.2022 एवं संकल्पांक-2147, दिनांक-31.07.2023 के प्रावधानानुसार 38,798 आँगनबाड़ी केन्द्र के माध्यम से संचालित की जा रही है। इन योजनाओं पर केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार का व्यय भार का अनुपात 60: 40 है।

उक्त विभागीय संकल्प सं०-1937, दिनांक-16.07.2018 एवं संकल्पांक-2147, दिनांक-31.07.2023 के प्रावधानानुसार आँगनबाड़ी सेवाएँ अन्तर्गत आँगनबाड़ी केन्द्रों के लिए प्रशासनिक व्यय (Administrative Expenses) मद के तहत रु०-2,000/- प्रतिवर्ष की क्रियान्वयन दर निर्धारित है।

3. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा-निर्देशांक-CD-II-21/7/2024-CD-II, दिनांक-01.07.2025 (प्रति संलग्न) के माध्यम से आँगनबाड़ी सेवाएँ अन्तर्गत प्रशासनिक व्यय (Administrative Expenses) मद के व्यय दर प्रति आँगनबाड़ी केन्द्र रु०-2,000/- वार्षिक को वर्द्धित कर प्रति आँगनबाड़ी केन्द्र रु०-8,000/- प्रतिवर्ष किया गया है। एतद् बढी हुई निधि से आँगनबाड़ी केन्द्रों में प्रति माह रु०-500/- अर्थात् रु०-6,000/- प्रतिवर्ष की दर से विद्युत व्यय वहन किया जाना प्रावधानित है।

4. उपर्युक्त के आलोक में योजनान्तर्गत प्रशासनिक व्यय (Administrative Expenses) मद के तहत व्यय दर प्रति आँगनबाड़ी केन्द्र रु०-2,000/- वार्षिक को वर्द्धित कर प्रति आँगनबाड़ी केन्द्र रु०-8,000/- प्रतिवर्ष करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। एतद् वर्द्धित निधि से आँगनबाड़ी केन्द्रों में विद्युत व्यय का वहन किया जायेगा।

उपर्युक्त आगत व्यय वहन केन्द्रांश एवं राज्यांश के 60: 40 के अनुपात में किया जायेगा।

5. उपर्युक्त के फलस्वरूप योजनान्तर्गत केन्द्रांश में रु०-1396.728 लाख एवं राज्यांश में रु०-931.152 लाख अर्थात् कुल रु०-2327.88 लाख का अतिरिक्त वार्षिक व्यय भार संभावित है। जबकि वर्तमान वित्तीय वर्ष-2025-26 (अन्तिम तीन तिमाही) में केन्द्रांश में रु०-1047.546 लाख एवं राज्यांश में रु०-698.364 लाख अर्थात् कुल रु०-1745.91 लाख संभावित है।

6. योजना कार्यान्वयन पर आगत व्यय का वहन हेतु राशि राज्य मद के:-

(क) जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना- बजट उपबंध मुख्य शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उप-मुख्य शीर्ष-02-समाज कल्याण, लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष-51-समेकित बाल विकास योजना (224 परियोजना एवं 20 जिला समाज कल्याण कार्यालय के लिए स्थापना) ;

(ख) अन्य क्षेत्रीय उपयोजना - बजट उपबंध के मुख्य शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उप-मुख्य शीर्ष-02-समाज कल्याण, लघु शीर्ष-102-बाल कल्याण, उप शीर्ष-51-समेकित बाल विकास योजना (224 परियोजना एवं 20 जिला समाज कल्याण कार्यालय के लिए स्थापना) ;

- के उपर्युक्त शीर्ष के तहत विकलनीय होगा।

7. विचारित मद संदर्भित योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में केन्द्रांश अधीन रू०-24164.40 लाख एवं राज्यांश अधीन रू०-16109.61 लाख अर्थात् कुल रू०-40274.01 लाख बजट उपबंध प्राप्त है।

8. एतद् संबंधी प्रावधान संकल्प निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा। इस संबंध में निर्गत पूर्व के राज्यादेश इस हद तक संशोधित होंगे।

9. एतद् पर राज्य मंत्रिपरिषद् की दिनांक-14.10.2024 को सम्पन्न बैठक की मद संख्या-06 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है।

अनुलग्नक:- यथोक्त।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

मनोज कुमार,
सरकार के सचिव
